न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – नीता वसीटा आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
32 / 2022	11 / 07 / 2023	20/03/24

1. सीताराम पुत्र श्री चतरा आयु वर्ष जाति कुम्हार नि० नीमसरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादी

बनाम

1. नटी पुत्री गोपाल जाति कुम्हार निवासी नीमसरा
2. दिलासी पुत्री गोपाले जाति कुम्हार नि० नीमसरा
3. मोहनलाल पुत्री चतरा जाति कुम्हार निवासी नीमसरा तहसील पीपल्दा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जि० कोटा राज

– प्रतिदीगण

<u>वाद अ०धा088 आरटीएक्ट</u>

<u>निर्णय</u>

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है की ग्राम श्योपुरा पटवार हलका बम्बूलिया भू.अनि.नि. क्षेत्र गैता तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में जमाबंदी संवत 2076 से 2079 में खाता सं0 नया 84 पुराना 86 मे ख0नं0 28 / 267 रकबा 4.18 है. भूमि वादी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम एवं वादी के पिता का नाम छीतरलाल पुत्र थी चतुर्भुज दर्ज अंकित है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम छीतरलाल पुत्र चतुर्भुज एवं वादी के पिता का नाम चतरभुज दर्ज अंकित है. जब कि पहचान पत्र, आधारकार्ड राशन कार्ड, जनआधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में वादी का नाम सीताराम पुत्र चतरा एवं वादी के पिता का नाम चतरा दर्ज चला आ रहा है, वादी एवं वादी के पिता को गांव में दो नाम से जानते हैं – छीतरलाल व सीताराम एवं चतुर्भुज व चतरा इस प्रकार राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों मे नाम की भिन्नता होने के कारण वादी को सरकारी संस्था, बैंक आदि से लोन लेने में असुविधा होती है, ऑनलाईन चीज विक्रय करने में भी असुविधा होती है, इसी वजह से, वादी को वाद प्रस्तुत करने के लिए मजबूर होना पडा है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

प्रतिवादी क्रम 4 भूमि के विभाग सम्बन्ध होने से वाद प्रस्तुत से पूर्व लिखित रूप से धारा 80 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अन्तर्गत नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एवं समयाभाव के कारण नोटिस दिया जाना संभव नहीं है, वाद प्रस्तुत पूर्व से नोटिस की धारा 80 सीपीसी से छूट प्रदान किया जावे। जिसके लिए पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। वादी ने दिनांक 26.6.2022 को हल्का पटवारी से राजस्व रिकार्ड की जानकारी लेने के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ ।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादी मौजा ग्राम श्योपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में स्थित कृषि भूमि खसरा0 28/267 की रकबा 4.18 है0 वादी खाता के राजस्व रिकार्ड में वादी का गलत नाम छीतरलाल के स्थान पर सीताराम एवं वादी के पिता का गलत नाम चतुर्भुज के स्थान पर चतरा दर्ज किया जावे तथा उक्त डिक्री की पालना प्रतिवादी क्रम 4 से करायी जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलबी की गई। प्रतिवादी क्र0 04 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :-

1. बिन्दु सं0 1 वर्णित अनुसार यह सही है कि ग्राम श्योपुरा की जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 में खाता सं0 84 खसरा नं0 28/267 रकबा 4.18 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड छीतरलाल पुत्र श्री चतुरभुज संयुक्त खाते दर्ज है।
2. बिन्दु सं0 2 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम छीतरलाल पुत्र चतरभुज अंकित है जब कि पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड दस्तावेज में वादी का नाम सीताराम पुत्र चतरा पिता का नाम भी चतरा दर्ज है। मौके पर जांच में लोगों ने बताया कि छीतरलाल पुत्र चतरभुज व सीताराम पुत्र चतरा एक ही व्यक्ति है इस नाम का अन्य कोई प्राणी ग्राम नीमसरा में मौजूद नहीं है।
3. प्रतिवादी मन्टी पुत्री गोपाल, बिलासी पुत्री गोपाल जाति– कुम्हार नि0 निमसरा, मोहनलाल पुत्र श्री चतरा जाति कुम्हार निवासी नीमसरा का सहमति पत्र संलग्न है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी क्र0 1 ता 3 माल ग्राम श्योपुरा पटवार मण्डल बम्बूलिया कलां भू0 अभि0 गैंता तह0 पीपल्दा ग्राम श्योपुरा पटवार मण्डल बम्बूलिया की जमाबंदी संवत 2076–2079 में खाता नया 84 पुराना 86 में बतौर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली में वादी द्वारा वाद के समर्थन में मतदाता पहचान कार्ड, आधारकार्ड, परिवार राशन कार्ड, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमसरा कक्षा 8 की अंकतालिका प्रस्तुत की है। जिसमें वादी का नाम सीताराम पुत्र चतुर्भुज दर्ज रेकार्ड है। जवाब सरकार में भी वादी के

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

नाम हीरालाल पुत्र मथुरेश व सीताराम पुत्र मतरू एक ही व्यक्ति होना अंकित किया है।

प्रतिवादी सं० 1 ता 3 सरवराहकारान द्वारा उपस्थित होकर सहमति पत्र पेश किया शामिल पत्रावली है।

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम [illegible] पटवार हलका [illegible] तहसील पीपल्दा की जमाबंदी संवत [illegible] से [illegible] के खाता संख्या नया पुराना [illegible] में खसरा नम्बर [illegible] रकबा [illegible] है० वादी का नाम राजस्व रेकार्ड हीरालाल पुत्र मतरूमल के स्थान पर सीताराम पुत्र मथुरेश दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री मुरत्तिब की जावे। विवादित आराजीयात यदि रहन है तो यथावत रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

अंतिम डिक्री मुकदमा इकाई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– मीता वसीटा (आर.ए.एस)

1. सीताराम पुत्र श्री चतरा आयु वर्ष जाति कुम्हार नि० नीमसरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

– वादी

बनाम

1. नटी पुत्री गोपाल जाति कुम्हार निवासी नीमसरा
2. बिलासी पुत्री गोपाले जाति कुम्हार नि० नीमसरा
3. मोहनलाल पुत्री चतरा जाति कुम्हार निवासी नीमसरा तहसील पीपल्दा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जि० कोटा राज

– प्रतिदीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कताई रूबरू बहाजिरी श्री पुष्पेन्द्र सिंह हाडा एडवोकेट मिनजानिब मुददई रूबरू .... मिनजानिब मुददालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम माल ग्राम श्योपुरा पटवार हलका बम्बूलिया कलां, भू० अभि० निर० गैंता तहसील पीपल्दा की जमाबंदी संवत 2076 से 2079 के खाता संख्या नया पुराना 86 में खसरा नम्बर 28/267 रकबा 4.18 है० वादी का नाम राजस्व रेकार्ड छीतरलाल पुत्र चतरभुज के स्थान पर सीताराम पुत्र चतुर्भुज दर्ज किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावे। विवादित आराजीयात यदि रहन है तो यथावत रहेगा।

डिक्री मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक .... को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		

उपखण्ड अधिकारी

स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		